



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 20.05.2025

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के आरोपी 04 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व कुल 4,88,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.05.2021 को वादी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.ओमकार पुत्र महावीर, 2.शार्दूल, 3.शिवम, 4.शगुन पुत्रगण ओमकार समस्त निवासीगण ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौच करते हुए लोहे की सब्बल व रॉड से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 139/21 धारा 302/452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

कार्यवाही –

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे – 06 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 139/21 धारा 302/452/323/504/506/34 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.ओमकार सिंह पुत्र महावीर, 2.शार्दूल, 3.शिवम व 4.शगुन पुत्रगण ओमकार सिंह समस्त निवासीगण ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,22,000/- रुपये (कुल 4,88,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

- 1.ओमकार सिंह पुत्र महावीर निवासी ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.शार्दूल पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 3.शिवम पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 4.शगुन पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 20.05.2025

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष 05 माह के कठोर कारावास व 1,00,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.05.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रियाज पुत्र चान्द अली निवासी मौ० शीशग्रान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 580 नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 126/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम रियाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

कार्यवाही –

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.05.2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० – 04 जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 126/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त रियाज पुत्र चान्द अली निवासी मौ० शीशग्रान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष 05 माह के कठोर कारावास व 1,00,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

रियाज पुत्र चान्द अली निवासी मौ० शीशग्रान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवालाकला

दिनांक 20.05.2025

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/25 धारा 352/115(2/351(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.05.2025 को वादी नरेशपाल सिंह पुत्र खचेडू सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकला पर तहरीर दी वादी के भाई कावेन्द्र सिंह पर गन्ना ठेकेदार रामअवतार पुत्र बलवीर निवासी ग्राम का फोन आया कि अभियुक्तगण 1. इसरत पुत्र जाकिर 2. जाहिद पुत्र साबिर 3. युसुफ पुत्र जाबिर 4. शमशेर पुत्र जाकिर निवासीगण ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर मेरे घर आकर गाली गलौच कर रहे हैं। वादी का भाई कावेन्द्र, रामअवतार के घर पहुंचा



तो अभियुक्तगणों इसरत, जाकिर, युसुफ व शमशेर ने उसके साथ गाली गलौच की व जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो से वार किया, जिससे वादी के भाई कावेन्द्र को गम्भीर चोटें आयीं। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकला पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 352/115(2/351(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त युसुफ पुत्र जाबिर उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

कार्यवाही:-

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शमशेर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदाही पर उपरोक्त घटना से संबंधित लकड़ी का डन्डा बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमशेर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम ढाकी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डन्डा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 71/25 धारा 352/115(2/351(2)/109(1) बीएनएस थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 श्री संजयपाल थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।
- 2- आरक्षी यतीश थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।
- 3 – आरक्षी विष्णु शर्मा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना

दिनांक 20.05.2025

थाना नगीना पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फईम पुत्र नफीस निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

फईम पुत्र नफीस निवासी मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर

आपराधित इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 01/20 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 164/20 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 165/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 81/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. का0 2540 प्रेमचंद थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. का0 2243 संदीप तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. का0 1056 अंकित थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. का0 1930 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर